कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18 नवम्बर, 2013 को सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड के सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक आहूत की गई। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श करते हुये निर्णय लिये गये:–

1–विद्यालयों के निरीक्षण–

महानिदेशक द्वारा सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया कि विद्यालयों के व्यापक स्तर पर निरीक्षण करने हेतु महानिदेशालय स्तर से निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें प्रत्येक अधिकारी के लिये माह में न्यूनतम निरीक्षण निर्धारित किये गये हैं, जो मुख्यालय से 3 किमी. परिधि से बाहर होने हैं। प्रत्येक अधिकारी को निरीक्षण आख्या सक्षम स्तर से निदेशालय/महानिदेशालय को उपलब्ध भी कराने के निर्देश हैं, किन्तु अधिकतर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण आख्या उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि महानिदेशालय स्तर से जारी निर्देशानुसार निरीक्षण कार्यक्रम सतत रूप से किया जाय एवं निरीक्षण आख्यायें सक्षम स्तर से महानिदेशालय को उपलब्ध करवाई जाय। साथ ही निरीक्षण का फ्लोअप भी किया जाय। निरीक्षण में शिक्षकों के सम्बद्धीकरण के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त कर ली जाय। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में पी.टी.एम. की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इनके दूरभाष नम्बर जनपद मुख्यालय में उपलब्ध होने चाहिये, जिनसे वार्ता कर विद्यालय के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाय।

प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि निरीक्षण में शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति के सम्बन्ध में छात्रों व अभिभावकों से भी पृच्छा कर ली जाय। साथ ही निरीक्षण में शिक्षक डायरी का भी अनिवार्य रूप से अवलोकन किया जाय, कि शिक्षकों द्वारा डायरी प्रयोग में लाई जा रही है अथवा नहीं। सभी अधिकारियों को विधिवत निरीक्षण पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। साथ ही आदेश का पालन न करने पर कार्यवाही के प्रति भी सचेत किया गया।

2–दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को किये गये निरीक्षण सम्बन्धी–

दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को विद्यालयों में किये गये आकस्मिक निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये शिक्षकों का निलम्बन तथा शासकीय कार्य पर गये शिक्षकों का विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश थे, किन्तु इनके निलम्बन से सम्बन्धित सूचना अप्राप्त है। जनपद अल्मोड़ा में ऐसे दो शिक्षकों को निलम्बित करने के निर्देश दिये गये। लम्बी अवधि से अनुपस्थित चल रहे अध्यापकों को उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 व उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली–2010 में उल्लिखित प्रावधानानुसार तत्काल बर्खास्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3–अनिवार्य स्थानान्तरण–

⇒ माध्यमिक शिक्षा

महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक व माध्यमिक से अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत किये गये स्थानान्तरणों पर चर्चा की गई। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि माध्यमिक शिक्षा में अनिवार्य स्थानान्तरण के तहत कुल 610 स्थानान्तरण किये गये, जिनमें से 569 शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। 41 शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। महानिदेशक द्वारा निर्देश दिये गये कि स्थानान्तरण नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार एक स्थानान्तरित शिक्षक एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार मुक्त नहीं होता है, तो वह स्वतः ही कार्यमुक्त समझा जायेगा तथा इसके उपरान्त पूर्व विद्यालय से किसी भी दशा में वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। ऐसे शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के साथ ही आरोप निर्धारित करते हुये विधिवत आरोप पत्र भी हस्तगत कराया जाय।

महानिदेशक द्वारा अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल को निर्देश दिये गये कि जिन प्रवक्ताओं का निलम्बन उनके द्वारा किया जाना है, उनका विधिवत अनुमोदन निदेशक माध्यमिक शिक्षा से आज ही प्राप्त कर लिया जाय। स्थानान्तरित किये गये आदेशों में किसी भी आदेश के प्रति मा0 न्यायालय से स्टे नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर निदेशक एवं विधि अधिकारी से भी परामर्श लिया जा सकता है। ऐसे शिक्षकों के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही सक्षम स्तर से ही की जानी चाहिये। अनुरोध के आधार पर कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों को निलम्बित करने पर महानिदेशक द्वारा अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल की प्रशंसा की गई।

महानिदेशक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, देहरादून को निर्देश दिये गये कि जिन 09 प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों द्वारा स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु मण्डलीय अपर निदेशक को तत्काल संस्तुति करेंगे।

⇒ प्रारम्भिक शिक्षा

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रारम्भिक शिक्षा में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत 613 स्थानान्तरण किये गये, जिनमें से 610 कार्यभार मुक्त किये गये तथा 385 शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। 226 शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। कार्यभार ग्रहण न करने पर जनपद देहरादून में 21, शिक्षकों को निलम्बित किया गया। महानिदेशक द्वारा निर्देश दिये गये कि स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों को आज ही निलम्बित किया जाय।

जनपद रूद्रप्रयाग में 33 स्थानान्तरण किये गये हैं, जिनमें से 26 शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। कार्यभार ग्रहण न करने वाले 07 शिक्षकों में से 04 को निलम्बित किया गया है। 03 शिक्षक एल.टी. व प्रवक्ता हैं। इनमें से एक तीन महीने से अवैतनिक अवकाश, 01 चिकित्सा अवकाश व 01 दुर्घटना के कारण अवकाश पर हैं। महानिदेशक द्वारा लम्बी अवधि से अनुपस्थित शिक्षकों को तत्काल निलम्बित करने के निर्देश दिये गये।

जनपद चम्पावत में प्रवक्ता एवं एल.टी. के 47 शिक्षकों के स्थानान्तरण हुये, जिनमें से 02 प्रवक्ताओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया, इनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु मण्डलीय अपर निदेशक को संस्तुत करने के निर्देश दिये गये। प्रारभिक शिक्षा में 17 में से 09 शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। कार्यभार ग्रहण न करने वाले 01 को निलम्बित किया गया है, जबकि 07 अध्यापक कोट में गये हैं। महानिदेशक द्वारा कोर्ट जाने वाले शिक्षकों के प्रत्यावेदन 15 दिन में समयवद्ध रूप से निस्तारित करने के निर्देश दिये गये।

जनपद उत्तरकाशी में प्रारम्भिक शिक्षा में 56 शिक्षकों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप 41 शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। कार्यभार ग्रहण न करने वाले 11 शिक्षकों को निलम्बित किया गया है। जबकि 04 शिक्षक न्यायालय में गये हैं। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत स.अ. एल.टी. में 27 में से 07 द्वारा ही कार्यभार ग्रहण किया गया है। कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु मण्डलीय अपर निदेशक को संस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

जनपद नैनीताल में में प्रवक्ता के 63 स्थानान्तरण के फलस्वरूप 49 शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, जबकि 14 द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। स.अ. एल. टी. में 80 के प्रति 72 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया, जबकि 05 शिक्षक मा0 न्यायालय में जाने की सूचना बताई गई। इस पर महानिदेशक द्वारा निर्देश दिये गये कि मा0 न्यायालय जाने की सूचना भर से किसी शिक्षक के विरूद्ध कार्यवाही रोकी नहीं जायेगी। यदि मा0 न्यायालय से स्टे प्राप्त होता है, तो ही सम्बन्धित शिक्षक का स्थानान्तरण स्टे खारिज होने तक रोका जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में मा0 न्यायालय से प्राप्त प्रत्यावेदनों को नियमानुसार निस्तारित करें। कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों को निलम्बित करते हुये महानिदेशक को अवगत करायें।

जनपद टिहरी द्वारा अवगत कराया गया कि 42 शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। 19 शिक्षक मा0 न्यायालय गये हैं, जिनमें से 15 में काउन्टर 03 सप्ताह के अन्दर तथा 04 प्रकरणों में अपर निदेशक को कार्यवाही करनी है।

जनपद अल्मोड़ा में प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में गये हैं, जिनके प्रत्यावेदनों का निस्तारण मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा किया जाना है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत स.अ. में 45 शिक्षकों में से 44 द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। 01 बी.एल.ओ. में तैनात हैं।

जनपद पिथौरागढ़ में प्रारम्भिक शिक्षा में स्थानान्तरित 44 शिक्षकों में से 32 ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण न करने वाले 12 में से 04 शिक्षक मा0 न्यायालय में गये हैं, जिनमें से 02 प्रकरणों में सुनवाई हो गई है ताथा 02 में सुनवाई होनी है। शेष 08 को तत्काल निलम्बित करने के निर्देश दिये गये।

महानिदेशक द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ को स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में कोई जानकारी न होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिये गये।

जनपद पौड़ी में प्रवक्ताओं में 41 मे से 38 द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। बेसिक शिक्षा में कुल 71 स्थानान्तरण में से 14 को चिकित्सा आधार पर रिलीफ प्रदान की गई, जबकि 54 द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। 03 शिक्षकों द्वारा कोर्ट केस किया गया, जिस पर काउन्टर की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद चमोली में प्रारम्भिक शिक्षा में 81 में से 09 को चिकित्सा आधार पर रिलीफ प्रदान की गई, जबकि 68 द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। 02 कोर्ट केस होने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाना है, जबकि एक को गम्भीर प्रकरण होने तथा एक शिक्षिका के पति फौज में होने पर विचाराधीन है। निर्देश दिये गये कि केवल गम्भीर प्रकरणों को ही संज्ञान में लिया जाय, बाकि को तत्काल निलम्बित किया जाय। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु मण्डलीय अपर निदेशक को संस्तुत किया जाय।

जनपद हरिद्वार में प्रारम्भिक शिक्ष्ज्ञा में 39 में से 37 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। 2 शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी को दोनों को निलम्बित कर आदेश उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

जनपद बागेश्वर में प्रवक्ता एवं एल.टी. में 15 में से 12 शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। 03 शिक्षक जो दूसरे जनपद से आये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। प्रारम्भिक शिक्षा में 22 में से 21 द्वारा कार्यभार ग्रहण। 01 शिक्षक द्वारा कोर्ट केस किया गया है।

जनपद ऊ.सिं.न. द्वारा अवगत कराया गया कि प्रारम्भिक शिक्षा में 82 में से 81 द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। 01 शिक्षक द्वारा मा0 न्यायालय मे याचिका दायर की गई है। प्रवक्ता में 15 में से 12 को रिलीफ, 03 रह गये हैं। स.अ. एल.टी. में 80 में से 74 कार्यमुक्त, 01 कोर्ट केस, 05 की निलम्बन की संस्तुति की जा रही है।

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि जो आवेदनपत्र उच्च स्तर से प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें अपनी संस्तुति के साथ उच्च स्तर को उपलब्ध करायें।

प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अनिवार्य स्थानान्तरण के उपरान्त कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों को उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 व उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली–2010 में उल्लिखित प्रावधानानुसार कार्यवाही करते हुये दिनांक 19 अक्टूबर, 2013 की सांय 5:00 बजे तक अवगत करायेंगे। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्धी आख्या अपर निदेशकों द्वारा जनपदवार दी जायेगी।

4–अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण –

महानिदेशल विद्यालयी शिक्षा द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अनुरोध के आधार पर होने वालें स्थानान्तरण हेतु नियमावली में उल्लिखित प्रावधानानुसार तत्काल समितियां गठित कर ली जाय। और यदि कोई ऐसा प्रकरण आता है, जो नियमावली में उल्लिखित प्रावधान से अच्छादित न हो, परन्तु परिस्थितिवश उनका स्थानान्तरण आवश्यक हो तो ऐसे प्रकरण को सम्बन्धित निदेशक को प्रस्तुत किया जाय।

5–सम्बद्ध शिक्षक–कर्मियों के सम्बन्ध में :–

महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अब किसी भी प्रकार से शिक्षक–कर्मियों को किसी भी दशा में कदापि सम्बद्ध न रखा जाय। निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण को डायटों में सम्बद्धीकरण समाप्त करने के भी निर्देश दिये गये। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को निर्देश दिये गये कि वे इश आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि जनपद हरिद्वार में कोई भी शिक्षक–शिक्षणेत्तर कर्मचारी सम्बद्ध नहीं है। सभी अधिकारी जनपद, मण्डल एवं राज्य के अन्तर्गत सम्बद्धीकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे। इसके उपरान्त कही पर भी कोई सम्बद्ध पाया जाता है तो उसके सम्बद्धीकरण करने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। यदि कही पर सम्बद्धीकरण आवश्यक हो तो इसकी अनुमति उच्च स्तर से अवश्य ली जाय।

6– सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा :–

- जनपद देहरादून में एस.एम.सी. की ट्रेनिंग हो गई है। हरिद्वार में 75 प्रतिशत धनराशि आंवटित कर दी गई है। जनपद उत्तरकाशी व रूद्रप्रयाग में रोटरी इण्टरनेशनल द्वारा पुनर्निमार्ण कार्य तत्काल पूर्ण किया जाय। इस सम्बन्ध में सी.आर.सी.–बी.आर.सी. से तत्काल आख्या मांगी जाय।

- कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के सम्बन्ध में पृथक से जनपकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत गति वर्ष की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश पूर्व में दिये गये। इसकी समीक्षा के उपरान्त जिन जनपदों द्वारा 90 प्रतिशत या उससे ऊपर का लक्ष्य प्राप्त किया गया, महानिदेशक द्वारा उनकी प्रशंसा की गई तथा प्रशास्तीपत्र प्रदान करने की घोषणा की गई। साथ ही जो विद्यालय जिस कक्षा से मान्यता प्राप्त है, उसी कक्षा में प्रवेश दिलाये जांय। जनपद पौड़ी में प्रवेश प्रतिशत कम होने पर महानिदेशक द्वारा निर्देश दिये गये कि ऐसे सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक जिलाधिकारी के अध्यक्षता में करवाई जाय।

- महानिदेशक द्वारा सभी जनपदों से वर्क बुक प्रत्येक विद्यालय में पहुंचने की जानकारी प्राप्त की गई, जिस पर सभी के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्क बुक विद्यालयों में पहुंच गई हैं।

- महानिदेशक ने जनपद ऊधम सिंह नगर व नैनीताल में वनखत्तों में भूमि हस्तान्तरण हेतु अपर निदेशक, कुमाऊँ मण्डल श्रीमती सुषमा सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुये ऐसे प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिये गये।

7–मा0 न्यायालयों में लम्बित वादों की स्थिति–

सभी अधिकारियों को लम्बित वादों के तत्काल निस्तारण करवाने के निर्देश दिये गये।

- जनपद पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर व उत्तरकाशी में आपदा से हुई क्षति को आर्थिक मदद देने के लिये कतिप एजेन्सियां सहयोग देना चाहती है। सभी मुख्य शिक्षा अधिकारी एजेन्सियों से मिलकर तत्काल एम.ओ.यू. करवायें तथा निर्माण कार्य प्रारम्भक करवा दें। अपर निदेशक द्वारा बताया गया कि अभी तक केवल जनपद रूद्रप्रयाग में 03 विद्यालयों के पुनर्निमार्ण एम.ओ.यू. किया गया है।

- अपर राज्य परियोजना निदेशक ने यू–डायस की प्रगति से अवगत कराया गया। जनपद बागेश्वर में कार्य अत्यन्त न्यून गति से हो रहा है। महानिदेशक ने सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को इस कार्य में प्रगति लाने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये निर्देश दिये गये कि 30 नवम्बर, 2013 तक यू–डायस की प्रकिया पूर्ण कर लें। जनपद देहरादून तथा हरिद्वार को भी यू–डायस के कार्य में प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया।

12–राज्य साक्षरता मिशन –

राज्य परियोजना प्रबन्धक साक्षरता मिशन श्री एस.बी. जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि साक्षर भारत जनपदों में प्रशिक्षण सम्पादित किये जाने हेतु मुख्य सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक जनपद इन संदर्भ व्यक्तियों का पैनल सूचीबद्ध रखें तथा विकास खण्ड प्रशिक्षणों का आयोजन इन संदर्भ व्यक्तियों द्वारा ही किया जाय।जनपद हरिद्वार, बागेश्वर एवं टिहरी द्वारा आउट सोर्सिंग के आधार पर साक्षर भारत समन्वयकों की व्यवस्था आज तक नहीं है। इसे तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

मुख्य शिक्षा अधिकारियों द्वारा भी साक्षर भारत कार्यकम की प्रगति का अनुश्रवण अवश्य किया जाय। जिसे कार्य दायित्व विषयक शासनादेश में भी उल्लिखित किया गया है। प्रत्येक नोडल अधिकारी प्रति माह 3–3 लोक शिक्षा केन्द्रों एवं साक्षरता केन्द्रों का निरीक्षण कर नियमित आख्या राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण कार्यालय में फैक्स व ई–मेल के माध्यम से प्रत्येक माह के अन्तिम दिवस तक अवश्य प्रेषित करें। कुछ जनपदों में शिक्षा केन्द्रों में पुस्तकालयों की स्थापना हेतु पुस्तकों का चयन किये जाने के उपरान्त भी नहीं की गई है, जो अत्यन्त खेदजनक है। तत्काल पूर्व निर्गत निर्देशों एवं प्रकिया के अनुसार प्रकिया किी जाय।

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विषयक प्रपत्र नियमित रूप से जनपद, विकास खण्ड स्तर से प्रेषित किये जांय। विकास खण्ड ग्राम पंचायत स्तरीय व्यय की स्थिति भी प्रेषित करेंगे। साक्षर भारत जनपदों के शिक्षा अधिकारियों द्वारा एक–एक केन्द्र अनुश्रवण व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु गोद लिया जाना है। उक्तवत केन्द्रों की सूची प्रेषित की जाय।

जनपदों, विकास खण्डों में साक्षर भारत कार्यालयों की समुचित व्यवस्था की जाय, जिसमें फैक्स, फोन, कम्प्यूटर की व्यवस्था हो, जिससे कि FAMS एवं Web Portal का कार्य निर्बाध रूप से चलता रहे। इस हेतु पूर्व में पत्र निर्गत किया गया है। लोक शिक्षा केन्द्रों में नामांकन वृद्धि हेतु प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। तत्काल सभी लोक शिक्षा केन्द्रों को सूचित किया जाय। मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी व खण्ड शिक्षा अधिकारी, प्रेरक उपस्थिति, कार्यावधिक लाभार्थियों की संख्या, पठन–पाठन प्रमाण पत्र वितरण, फर्नीचर एवं बैठक व्यवस्था का नियमित अनुश्रवण कर आख्या प्रेषित करते रहे।

8–राज्य योजना/एस.सी.पी./टी.एस.पी. के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की स्थिति–

- महानिदेशक द्वारा एस.पी.ए. में 20 करोड़ को तत्काल आंवटित करने के निर्देश उप निदेशक, नियोजन को दिये गये।

- जिला योजना के अन्तर्गत तत्काल कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। इस हेतु 27 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जिसका जनपदवार आख्या मांगी गई है। महानिदेशक ने निर्देश दिये कि कोई भी निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ही पूर्ण हो जाना चाहिये। इसका दायित्व विभागीय अधिकारियों का है।

9–जनपद बागेश्वर, चम्पावत व टिहरी में डी.बी.टी. योजना की प्रगति–

डी.बी.टी. योजना के तहत राज्य का कोटा 48 है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक चयनित छात्र को 500 रूपये मिलते हैं।

10–इन्सपायर एवार्ड –

महानिदेशक द्वारा निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण को इस योजना के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये गये तथा इस सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई।

11–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान –

- अपर राज्य परियोजना निदेशक श्रीमती सीमा जौनसारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अल्मोड़ा व नैनीताल में 5–5, जनपद रूद्रप्रयाग व चमोली में 3–3, पिथौरागढ़ में 2 और जनपद बागेश्वर, पौड़ी, हरिद्वार में एक–एक विद्यालयों में भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य अनारम्भ हैं। इस पर महानिदेशक द्वारा सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया गया कि तत्काल भूमि विवाद प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस हेतु स्थानीय समुदाय से भी सम्पर्क किया जाय।

- जनपद टिहरी में अभी तक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुये विकास खण्ड भिलंगना व प्रतापनगर में बालिका छात्रावास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस पर महानिदेशक ने मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा टिहरी को निर्देशित किया गया कि तत्काल सम्बन्धित क्ष्ज्ञेत्रों के मा0 विधायकगणों से मिलकर तत्काल एक सप्ताह के अन्दर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा सम्बन्धित बालिका छात्रावासों के लिये निर्धारित निर्माण एजेन्सी की जानकारी न हो पाने के लिये उन्हें चेतावनी निर्गत करने के निर्देश दिये गये।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा ने सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि तत्काल दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के विस्तृत आगणन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी जनपद को यह लगता है कि उन्हें दैवीय आपदा के अन्तर्गत किसी विद्यालय में वास्तविकता के आधार पर पुनर्निमाण व मरम्मत की आवश्यकता नहीं है तो इस आशय की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को तत्काल दें।

13–सूचनाओं की सही जानकारी न होने व शासकीय कार्य में लापरवाही पर निम्न अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई :–

⇒ मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़

1. "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013" के प्राविधानों के तहत कुल कितने शिक्षकों के स्थानान्तरण किए गए, कितने शिक्षकों द्वारा तैनाती पर योगदान किया गया, कितने शिक्षकों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया व कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों के प्रति क्या कार्यवाही की गयी की कोई जानकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ नहीं दे पाए।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा माह अप्रैल, 2013 से अब तक कुल 24 निरीक्षण किए गए हैं, जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी को 10 निरीक्षण प्रतिमाह किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।
3. अपने दायित्व निर्वहन के प्रति लापरवाही के लिए श्री विनोद कुमार टम्टा, मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ को कड़ी चेतावनी दिये जाने की संस्तुति की गई।

⇒ मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार

1. अपने मूल तैनाती स्थल से अन्यत्र कितने शिक्षक/कार्मिक सम्बद्ध हैं, की पूरे जनपद की सूचना न देकर मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार द्वारा मात्र जनपद मुख्यालय की सूचना ही उपलब्ध करायी गयी, जबकि यह सूचना पूरे जनपद के सम्बन्ध में दी जानी थी।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार द्वारा निर्धारित निरीक्षण नहीं किए गए हैं।
3. बैठक के एजेण्डे की निर्धारित पूर्ण सूचना भी इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी।
4. अपने दायित्व निर्वहन के प्रति लापरवाही के लिए श्री रामकृष्ण उनियाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को कड़ी चेतावनी की संस्तुति की गई।

⇒ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा टिहरी

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत निर्मित होने वाले बालिका छात्रावास की निर्माण एजेन्सी की जानकारी परियोजना अधिकारी (रमसा)/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) को नहीं थी। इस योजना के तहत निर्मित होने वाले छात्रावासों के लिए अभी तक भी विकासखण्ड भिलंगना एवं प्रतापनगर में स्थान का चयन नहीं हो पाया है, जिससे भारत सरकार की यह महत्वपूर्ण योजना प्रभावित हो रही है।
2. अपने दायित्व निर्वहन के प्रति लापरवाही के लिए श्री दिनेश चन्द्र सती, जिला शिक्षा अधिकारी (मा0) टिहरी को कड़ी चेतावनी दिये जाने की संस्तुति की गई।

3. महानिदेशक द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन शिक्षकों द्वारा एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उनकी सूचना दोनों जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने मण्डलीय अपर निदेशकों को कार्यवाही हेतु संस्तुति करेंगे। निलम्बित शिक्षकों को सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सम्बद्ध किया जायेगा।

4. महानिदेशक द्वारा उप निदेशक, नियोजन को निर्देश दिये गये कि जिन विद्यालयों में पद सृजित नहीं है, और कक्षायें संचालित हो रही हैं, उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाय। साथ ही इन विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत है, का विवरण कक्षावार–विद्यालयवार उपलब्ध कराया जाय।

5. किसी भी शिक्षक को सी.आर.सी.–बी.आर.सी. का कार्य न सौंपा जाय। यदि कहीं पर इनके पद रिक्त हो तो, उनका प्रभार निकटवर्ती सी.आर.सी.–बी.आर.सी. को सौंपा जाय।

6. महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कोई भी शिक्षक बिना विधिवत अनुमति के सीधे शासन में न मिले। इस आशय के निर्देशों का जनपद, ब्लाक व विद्यालय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।

7. जो शिक्षक बिना विधिवत प्रकिया के सीधे उच्च स्तर पर पत्राचार कर रहे हैं, उनके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। साथ ही जिन शिक्षकों द्वारा अवमानना नोटिस भेजा जाता है, उनकी सूची अलग से बनाई जाय।

8. महानिदेशक ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कोई भी अधिकारी मुख्यालय बिना सक्षम स्तर के अनुमति के कदापि नहीं छोड़ेंगे। सभी अधिकारी अपना प्रस्तावित मासिक कार्यक्रम बनाकर सक्षम स्तर से अनिवार्यतः अनुमोदित करायेंगे।

9. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को वाहन उपलब्ध न होने की दशा में महानिदेशक द्वारा निर्देश दिये गये कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारम्भिक शिक्षा एक साथ निरीक्षण करेंगे। साथ ही संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिये गये कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के लिये अनुश्रवण मद में एक गाड़ी हायर करने हेतु आदेश जारी करें।

10. मुख्य शिक्षा अधिकारी चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय में कोई भी कार्यालय सहायक नहीं है, जिसके कारण शासकीय कार्य में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। महानिदेशक ने अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमाऊँ मण्डल को तत्काल कार्यालय सहायकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

11. महानिदेशक ने बैठक में अवगत कराया गया कि जो अधिकारी अच्छा कार्य करेगा उसके अच्छे कार्य की अंकना वार्षिक गोपनीय आख्या में की जायेगी।

12. मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार को गलत जानकारी देने के कारण शासन स्तर से चेतावनी निर्गत करवाने के निर्देश महानिदेशक द्वारा दिये गये।

13. महानिदेशक द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारियों के कार्य दायित्व निर्धारित करने के निर्देश दिये गये।

⇒जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हरिद्वार

1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 'यू–डायस' की प्रगति सन्तोषजनक नहीं पायी गयी।
2. जिला शिक्षा अधिकारियों हेतु प्रतिमास 10 निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे पूर्ण नहीं किया गया है। साथ ही किए गए निरीक्षणों की आख्या भी महानिदेशालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं।
3. शासकीय कार्य में अपेक्षाकृत रूचि न लेने व दायित्व निर्वहन के प्रति शिथिलता के लिए श्रीमती कंचन देवराड़ी, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हरिद्वार को कड़ी चेतावनी प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई।

⇒जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) हरिद्वार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश लेने की प्रगति अत्यन्त धीमी है। इस महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षाकृत रूचि न लेने के कारण व महत्वपूर्ण कार्य को गति न देने के संबंध में इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गई।

⇒जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) पौड़ी

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश लेने की प्रगति अत्यन्त धीमी है। इस महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षाकृत रूचि नहीं न लेने व उक्त महत्वपूर्ण कार्य को गति न देने के संबंध में इनकों कारण बताओ नोटिस जारी करने की संस्तुति की गई।

⇒जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) पिथौरागढ़

1. जिला शिक्षा अधिकारियों हेतु 10 निरीक्षण प्रतिमाह किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जो आपके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। साथ ही जो निरीक्षण किए गए हैं, उनकी आख्या भी महानिदेशालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
2. विभागीय निर्देशों की अवहेलना के साथ–साथ निरीक्षण कार्यों के प्रति लापरवाही बरती गयी है। इस हेतु इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।

⇒जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) देहरादून

शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने व सूचनाओं की सही जानकारी न होने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, देहरादून को कारण बताओ नोटिस जारी करने की संस्तुति की गई।

14–अन्य बिन्दु, जिन पर निदेशकों प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा को कार्यवाही के निर्देश दिये गये–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तरकाशी पिछले एक वर्ष से अवकाश पर होने की जांच हेतु महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वल मण्डल को 15 दिन के अन्दर जांच कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
2. विद्यालयों में यदि किसी शिक्षक द्वारा अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को अध्यापन हेतु रखा गया हो, तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज करें एवं सम्बन्धित शिक्षक को निलम्बित किया जाय।

14. जो शिक्षक दो माह या उससे भी अधिक अवधि से अनुपस्थित हैं, उनकी सूची मुख्य शिक्षा अधिकारी मण्डलीय अपर निदेशक तथा मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा निदेशालय को उपलब कराई जायेगी। ऐसे अध्यापकों के विरूद्ध सक्षम स्तर से निलम्बन की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह आख्या एक सप्ताह में निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा को दी जायेगा।
15. महानिदेशक द्वारा अंग्रेजी माध्यम से चल रहे हैं 145 विद्यालयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई तथा सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे इन विद्यालयों का अवश्यमेय निरीक्षण करें।
16. महानिदेशक ने उप निदेशक, नियोजन को एन.डी.आर.एफ. के तहत तत्काल धनराशि जारी करने के निर्देश दिये गये।
17. जिस अधिकारी द्वारा पूर्व में निदेशालय को गलत रिक्ति उपलब्ध कराई गई, उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मुख्यालय उक्त के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुये अवगत करायेंगे।
18. चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। इन प्रकरणों में किसी भी प्रकार से विलम्ब न करने के निर्देश दिये गये।
19. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, मुख्यालय ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि यदि कोई आचार्य शिक्षा मित्र के रूप समायोजन होने से छूट गया हो तो, उसे भी सूची में सम्मिलित किया जाय। कोई भी आचार्य सूची से छूटना नहीं चाहिये।
20. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रशासनिक अधार पर किये गये श्री कुलवन्त सिंह मल, प्रवक्ता रा.इ.का. जैना को तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा को निर्देश दिये गये।
21. श्री के.के. वाष्णेय द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के निर्देशों के कम में प्रस्ताव उपलब्ध न कराने पर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जायेगा। तद्परान्त प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

अतः बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./शिविर/5761-67/2013–14 दिनांक 23 नवम्बर 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, मुख्यालय गढ़वाल/कुमाऊं
7. संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
8. मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड

22/11/13

(सीमा जौनसारी)
अपर निदेशक
महानिदेशालय
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड